सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या – 162 राँची, गुरुवार, 26 चैत्र, 1948 (श०) / 16 अप्रैल, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

23 मार्च, 2026

ज्ञापांक15/एस-04 (छुट्टी)-01/2014/99––

विषयः. शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन के संबंध में।

षष्टम केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 13018/2/2008-Estt-(L)दिनांक 11.09.2008 के द्वारा केन्द्र सरकार के महिला कर्मियों के लिए समस्त सेवाकाल में दो अवयस्क संतानों की देखभाल हेतु कुल 730 दिनों की ''शिशु देखभाल अवकाश'' का प्रावधान किया गया है । एकल पुरुष कर्मियों के लिए भी उक्त सुविधा कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0 11020/01/2017-Estt-(L)दिनांक 30.08.2019 के द्वारा प्रदान की गयी है ।

2. तदनुसार वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 732, दिनांक 14.03.2024 के द्वारा झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नियम 220 के बाद नया नियम 220 (A)''शिशु देखभाल अवकाश'' के रुप में अंतःस्थापित किया गया । उक्त नियम में अव्यस्क संतान (18 वर्ष से कम आयु) के पालन. पोषण अथवा देखभाल के लिए दो वर्ष (यानी 730 दिन) का शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान संसूचित है।

3. शिशु देखभाल अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन निर्धारण का मामला सरकार के विचाराधीन था । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11020/01/2017-Estt-(L) दिनांक 30.08.2019 में शिशु देखभाल अवकाश (child care leave) के दौरान छुट्टी वेतन के संबंध में प्रावधान निम्नवत हैः-

CCL may be granted at 100% of the leave salary for the first 365 days and 80% of the leave salary for the next 365 days.

4. केन्द्र सरकार के उक्त प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार में भी उक्त प्रावधान को लागू किये जाने हेतु संकल्प सं0 732, दिनांक 14.03.2024 की कंडिका-3(xiv) के बाद नया उप.कंडिका 3(xv) निम्नवत अन्तःस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

"3(xv) शिशु देखभाल अवकाश पहले 365 दिनों के लिए 100 प्रतिशत छुट्टी वेतन तथा अगले 365 दिनों के लिए 80 प्रतिशत छुट्टी वेतन पर देय होगा।"

5. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद्के दिनांक 12.03.2026 की बैठक में मद संख्या 21 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार),

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 162 – 50